(16)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R. 889-तीन/14

श्री आदित्य प्रसाद तनय अवधेश प्रसाद उम्र 68 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम चोरहटा, तहसील हुजूर, जिलारीवाम०प्र० -------- आवेदक

R-889-III/14

विरुद्ध

1- रुपचन्द्र वाधवानी तनय हुकूमतराय उम्र 65 वर्ष, पेशा व्यापार, निवासी ग्राम चोरहटा, तहसील हुजूर, जिलारीवाम०प्र०

2- म०प्र० स्टेट ------- ----------- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दिनांक 26.2.14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 764 ... द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त

7.3.14

प्रार्थनापत्र निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार सा० तहसील हुजूर जिलारीवा दिनांक 13-1-14 पारित प्रकरण क्रमांक 69/12/13-14।

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

आदित्य प्रकाश रामचन्द्र वाजपेयी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 889/III/ 2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.4.2014	यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 6/ए–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13–1–14 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। उन्होंने बताया कि ग्राम चोरहटा स्थित भूमि खसरा नंबर 449/4 रकबा 0.405 हैक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन अनावेदक कमांक 1 ने दिया था जिसमें आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया एंव म0प्र0शासन को पक्षकार बनाया गया। जानकारी होने पर आवेदक ने आपत्ति आवेदन दिया। राजस्व निरीक्षक सीमांकन हेतु न तो खेत पर गये और न ही उन्होंने जरीव डालकर नप्ती की, अपितु गलत नक्शे के आधार पर पटवारी ने मनमाने तौर पर सीमांकन रिपोर्ट बना ली जिसे तहसीलदार ने स्वीकार करने में भूल की है। एक चाय का दुकान पर स्थल निरीक्षण पंचनामा बनाया गया है, इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जावे।	

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 13–01–14 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने भूमि के सीमांकन न किये जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति की है कि वादग्रस्त भूमि पर व्यवहार वाद लंबित है यदि सीमांकन किया गया तो स्थिति प्रभावित होगी, जबकि आवेदक का व्यवहार वाद निरस्त हो चुका है तथा तहसीलदार व्दारा राजस्व निरीक्षक को वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराकर आवेदक एंव अनावेदक को सुनने के वाद सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। सीमांकन से यदि आवेदक की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है ? आवेदक स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य